M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2014

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 5
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 5

CIVIL LAW & PROCEDURE
व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./प्र.क्र. **Marks/अंक**

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. Discuss the "doctrine of Precedent".
"पूर्वनिर्णय के सिद्धान्त" का विवेचन कीजिए। **5**

2. Describe the "doctrine of pleasure" in India. When it can be invoked ?
भारत में "प्रसाद के सिद्धान्त" का वर्णन करें। कब इसका अवलम्ब लिया जा सकता है ? **5**

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. State the grounds on which the court can order arrest before judgment in a suit pending before him?
उन आधारों को बताइये, जिनमें न्यायालय अपने समक्ष लंबित वाद में निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी का आदेश कर सकता है ? **5**

4. Discuss the scope of "cross-objection" under Order 41 Rule 22 of the C.P.C. ?
आदेश 41 नियम 22 सी.पी.सी के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले "प्रत्याक्षेप" का विवेचन कीजिए ? **5**

5. Define the terms "Order" and "Decree". Point out the distinction between them. Give at least three examples of order which amount to decree and the order which do not amount to decree.
शब्द "आदेश" एवं "डिक्री" को परिभाषित कीजिए ? उनमें क्या अन्तर हैं कम से कम तीन ऐसे आदेशों का उदाहरण दीजिए जो डिक्री की कोटि में आते हैं एवं जो डिक्री की कोटि में नहीं आते हैं ? **5**

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

6. Explain "conditional transfer" and distinguish between 'condition precedent' and 'condition subsequent'.
'सशर्त अंतरण' को स्पष्ट करिये और 'पुरोभाव्य शर्त' एवं 'उत्तरभाव्य शर्त' के मध्य विभेद बताइये। **5**

7. Explain the "Rule of Subrogation". How many types of subrogation are there ? Which persons cannot be subrogated ?

"प्रत्यासन के नियम" को स्पष्ट कीजिए ? प्रत्यासन कितने प्रकार का होता है ? किन व्यक्तियों को प्रत्यासीन नहीं किया जा सकता है ? 5

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

8. What is 'misrepresentation' ? What are its effects on contract ? Explain.

'मिथ्या व्यपदेशन' क्या है ? इसके संविदा पर क्या प्रभाव होंगे ? समझाइये। 5

9. What is the doctrine of the "privity of contract". Can a third party demand performance of a contract ?

"संविदात्मक सम्बन्ध" का क्या सिद्धान्त है ? क्या एक तृतीय पक्षकार संविदा के अनुपालन की मांग कर सकता है ? 5

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

10. What do you understand by the terms preventive reliefs ? What are the modes of providing a preventive relief ?

निवारक अनुतोष से आप क्या समझते हैं ? निवारक अनुतोष प्रदान करने के क्या तरीके हैं ? 5

11. Whether a tresspasser can file a suit for recovery of possession on the basis of previous possession who has been evicted without due course of law by the real owner ?

क्या एक अतिक्रामक जो वास्तविक स्वामी द्वारा विधि के प्रावधानों का पालन किये बिना निष्काषित किया गया है, पूर्व आधिपत्य के आधार पर आधिपत्य वापिसी हेतु एक वाद प्रस्तुत कर सकता है ? 5

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

12. What is the effects of 'fraud' or 'mistake' on computation of the period of Limitation ?

समयावधि की गणना पर 'कपट' या 'भूल' का क्या प्रभाव है ? 5

13. Sections 6 is an exception to the Law of Limitation ? Explain.
धारा 6 मर्यादा अधिनियम का अपवाद है ? स्पष्ट कीजिए । 5

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959
म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

14. What is the procedure for diversion of land ? When an applicant can presume that the permission is granted ? When no permission for diversion is required ?

भूमि के व्यपवर्तन की क्या प्रक्रिया है ? एक आवेदक कब अनुमति दिये जाने की उपधारणा कर सकेगा ? कब व्यपवर्तन के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है ? 5

15. When occupancy tenant can transfer his right in the land ? Discuss
कब मौरूषी कृषक भूमि में अपने अधिकार को अंतरित कर सकता है ? विवेचन कीजिए। 5

M.P. ACCOMODATION CONTROL ACT, 1961
म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

16. Is there any provision in the M.P. Accommodation Control Act, 1961 for letting an accommodation for a limited period ? If so, explain the relevant provision.

क्या मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में सीमित समय के लिये भवन किराये पर दिये जाने के प्रावधान हैं ? यदि हाँ, तो सुसंगत प्रावधान को स्पष्ट करें। 5

17. What legal mode(s) is/are available to a tenant when the landlord takes possession under a eviction decree on the ground of reconstruction and after reconstruction does not hand over possession to the tenant ?

अभिधारी को क्या विधिक तरीका/तरीके उपलब्ध हैं जहाँ कि एक भूमि–स्वामी पुनर्निर्माण के आधार पर निष्कासन की डिक्री के अधीन कब्जा प्राप्त करता है लेकिन पुनर्निर्माण के पश्चात् अभिधारी को कब्जा नहीं सौंपता है? 5

HINDU MARRIAGE ACT, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

18. What are void and voidable marriages under Hindu Marriage Act, 1955 ? What provisions are therein regarding the legitimacy of the children born out of such marriages and what are their rights in the properties ?

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह क्या हैं ? ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों की धर्मजता क्या होगी और सम्पत्तियों में उनके क्या अधिकार होंगे ? 5

HINDU SUCCESSION ACT, 1956
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

19. What is right of child in womb under the act ?
गर्भस्थ अपत्य को इस अधिनियम के तहत क्या अधिकार हैं ? 5

MIXED
मिश्रित

20. **Write Short-notes on any two of the followings : -**

1. Garnishee
2. Undisclosed Principal
3. Contract of Indemnity
4. Difference between a charge and a lien.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :– 5

1. अनुऋणी
2. अप्रकटीकृत मालिक
3. क्षतिपूर्ति की संविदा
4. भार तथा धारणाधिकार में अन्तर

****

M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2014

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions :20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 5
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 5

CRIMINAL LAWS & PROCEDURE
अपराध विधि एवं प्रक्रिया

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./प्र.क्र. Marks/अंक

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

1. Whether any woman can be convicted for the offence of 'Gang Rape' ? Explain with relevant provision and case law.

   क्या किसी महिला को 'सामूहिक बलात्संग' के अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है ? सुसंगत प्रावधान एवं निर्णयज विधि के साथ स्पष्ट करें। 5

2. Explain the terms "Dowry Death" and "Abetment of Suicide" ? What are the distinguishing features of them?

   शब्द ''दहेज मृत्यु'' एवं ''आत्महत्या का दुष्प्रेरण'' को स्पष्ट कीजिए ? उनके क्या सुभेदक लक्षण हैं ? 5

3. Which are the acts against them there is no right of private defence and when the right of private defence of the body extends to causing death?

   वे कौन से कृत्य हैं जिनके विरूद्ध प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है ? कब शरीर के प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है ? 5

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. Write a brief note on grant of bail under Proviso (a) to Section 167(2) of the Criminal Procedure Code, 1973 ? Explain with the relevant case law.

   दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167(2) के परन्तुक (क) के अधीन दी जाने वाली जमानत पर संक्षिप्त में टीप लिखें ? सुसंगत निर्णयज विधि के साथ स्पष्ट करें। 5

5. In what circumstances Magistrate can invoke power u/s 156(3) Cr.P.C.? Explain with relevant case law.

   किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अधिकार का उपयोग कर सकता है ? संबंधित निर्णयज विधि के साथ स्पष्ट करें। 5

6. If any witness before a criminal court refuses to answer such question as put to him, then what procedure to be adopted by the court ?

   यदि कोई साक्षी आपराधिक न्यायालय के समक्ष, उसके समक्ष रखे गये प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, तब न्यायालय द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ? 5

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

7. When secondary evidence relating to documents can be given ? State with relevant provisions.

दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य कब दी जा सकती है ? संबंधित प्रावधानों के साथ बताइये। 5

8. What are privileged communication ? Under what circumstances privilege can be waived ?

विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना क्या है ? किन परिस्थितियों में विशेषाधिकार का अधित्यजन किया जा सकता है ? 5

9. "A confessional statement is admissible only as against an accused who has made it". Is there any exception to this principle ? Discuss.

"अपराध की संस्वीकृति उसी अभियुक्त के विरूद्ध ग्राह्य है जिसने उसे दिया है"। क्या इस सिद्धान्त का कोई अपवाद भी है ? विवेचना कीजिए। 5

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

10. Courts of which places have jurisdiction to entertain a complaint filed u/s 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 ?

किन स्थानों के न्यायालयों को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई की अधिकारिता है ? 5

11. Whether on the death of complainant his heirs can be allowed to continue with the complaint for offence punishable under section 138 of the N.I. Act ?

क्या परिवादी की मृत्यु पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के परिवाद को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है ? 5

N.D.P.S. ACT, 1985
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

12. Describe briefly the punishment for consumption of any Narcotics Drugs or Psychotropic Substance.

किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दण्ड का संक्षिप्त वर्णन करें । 5

13. Discuss the provisions of Section 50 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 with latest case law ?

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 50 के प्रावधानों का विवेचन नवीनतम न्याय निर्णयों सहित करें ? 5

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

14. When presumption of demand of bribe can be made against the accused and when the court can decline to draw the presumption ? Discuss with relevant provision and case law.

कब रिश्वत की मांग की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध की जा सकती है और कब न्यायालय उपधारणा निकालने से इंकार कर सकता है ? सुसंगत प्रावधान एवं निर्णयज विधि के साथ चर्चा करें। 5

15. What offences amount to criminal misconduct by a public servant under Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ?

लोक सेवक द्वारा किये जाने वाले कौन से अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अधीन आपराधिक अवचार हैं ? 5

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

16. When the Bar under Section 18 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 regarding the grant of anticipatory bail will not be applicable ? Explain with latest case law.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 में वर्णित निषेध कब अग्रिम जमानत दिये जाने पर लागू नहीं होगा? नवीनतम न्याय निर्णयों सहित स्पष्ट करें। 5

17. Explain meaning of the expression "with intent to humiliate a member of a Schedule Caste or a Schedule Tribe" as used in Section 3 of the Schedule Castes & the Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, by citing relevant case laws.

पद "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से" जैसा कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम 1989 की धारा–3 में प्रयुक्त है का अभिप्राय, सुसंगत निर्णयज विधि का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिये। 5

THE ELECTRICITY ACT, 2003
विद्युत अधिनियम, 2003

18. What are the basic differences between Sec. 135 & Sec. 138 of The Electricity Act?

विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं धारा 138 में मूलभूत अन्तर क्या है ? **5**

19. What is the scope of liability of company in respect of offences under the Act?

इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के संबंध में कंपनी के उत्तरदायित्व का विस्तार क्या है ? **5**

MIXED
मिश्रित

20. **Write Short-notes on any two of the followings : -** **5**

1. Bill of exchange
2. Estoppel
3. Voyeurism
4. Appellate jurisdiction in case of acquittal.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :–

1. विनिमय पत्र
2. विबंध
3. दृश्यरतिकता
4. दोषमुक्ति के मामले में अपीलीय अधिकारिता।

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2014

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें
Candidate should write his Roll No. here

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6
No. of Printed Pages : 6

Third Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र
WRITING SKILL, COURT PRACTICE, TRANSLATION AND CURRENT LEGAL KNOWLEDGE

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answer where it is given with the question. Violation may lead to minus marking.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
   यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। **P.T.O.**

Q.1- Write an article in Hindi on any one of the following legal topics :
निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी में लेख लिखिए : —10

(i) Mediation
मध्यस्थता

(ii) Right of Victim
पीड़ित के अधिकार

Q.2- Summarize the following legal passage into English (In 200 words)
निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (200 शब्दों में) : —10

Generally the principle of punishment is grown up from a legal demand of the society. Capital punishment is also one of such demands. If a cruel and brutal minded criminal is not punished, and he is left free to move in the society, it destroys the very structure of the society. Every person becomes cruel. Human civilization becomes "Jungle Justice". Nobody will respect the law and order. Mighty rules the weaker. The physically strong person kills children, women and weak persons for the smallest reasons. The peace in the society disappears. Thus the prosperity of the society will be stopped. Therefore, the law demands to punish the law-breakers. The capital punishment was evolved some centuries ago due to legal demand, and still it is continuing, because the majority of the human beings accepted it, and conceded to it. It has become necessary to eliminate the most violent law-breakers. Else the majority people cannot live peacefully.

The capital punishment is not imposed for every small or big offence. Only for grave, unpardonable, heinous crimes it is imposed. There are 511 Sections in the Indian Penal Code defining various offences and prescribed offences. Out of 511 sections, only less than 10 sections impose capital punishment. In those crimes too, the crime of the wrong-doer must be proved by the prosecution beyond any doubt to the entire satisfaction to the Court. In majority of such cases, the Courts acquit the accused on several reasons, such as discretion, defective prosecution, hostile witnesses, benefit of doubt, etc. etc. In certain cases, *viz* rape, plundering of buses, trains, etc. It is very hard for prosecution to procure the evidences. The general public fear to give their evidence before the Court, because of the fear of goondas and criminals. Some of the criminals offer bribe to the police, public prosecutors, witnesses, etc.

They appoint eminent advocates, who twist the evidences in cross-examination, argument, etc. They raise certain complicated legal points. The Court has no way except to acquit the criminals. In the rarest of rare cases, the Sessions Judge imposes death sentence, if the prosecution proves the offence successfully and the witnesses give their evidence perfectly. After that, the High Court has to confirm such death sentence. After confirmation, the convict can appeal to the Supreme Court. Even after, the appeal is dismissed by the Supreme Court, there are chances to the convicted person to file mercy petition before the Governor and the President.

COURT PROCEDURE
न्यायालय प्रक्रिया

Q.3(a)- What is the procedure of withdrawing lapsed amount of Civil Courts Deposits (CCD) ?

सिविल कोर्ट्स डिपाजिट (सी.सी.डी.) की व्यपगत राशि को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ? **–5**

Q.3(b)- What procedure is provided in M.P. Civil Court Rules 1961 for return of Original documents?

म0प्र0 सिविल न्यायालय नियम 1961 में मूल दस्तावेजों की वापसी के संबंध में क्या प्रक्रिया उपबंधित की गई है ? **–5**

Q.3(c)- Whether a stranger can obtain a copy of Judicial Proceeding in civil case? Discuss with relevant provisions of Rules & Order (Civil).

क्या कोई अपरिचित सिविल प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही की नकल प्राप्त कर सकता है ? 'नियम एवं आदेश (सिविल)' के सुसंगत प्रावधानों के साथ विवेचना करें। **–5**

Q.3(d)- In what form and how report of the conviction of a Govt. Servant will be sent to the head of his department? Discuss briefly in the light of provision of M.P. Rules & Orders (Criminal).

एक शासकीय सेवक की दोषसिद्धि की रिपोर्ट किस फार्म में और कैसे उसके विभाग के प्रमुख को भेजी जायेगी। म.प्र. रूल्स एण्ड आर्डर (आपराधिक) के प्रकाश में संक्षिप्त विवेचना करें। **–5**

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES

Q.4- Briefly state the principles of law or guidelines laid down by the Supreme Court in following cases. Out of given two options you may choose one -

निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दिये गये दो विकल्पों में से आप एक चुन सकते हैं–

4(a)	Dharam Pal and Others ***Vs.*** State of Haryana and another (2014)3 SCC 306	**OR**	Ankush Shivaji Gaikwad ***Vs.*** State of Maharashtra (2013)6 SCC 770	**5**
4(b)	Badshah ***Vs.*** Urmila Badshah Godse and another (2014)1 SCC 188	**OR**	State of M.P. ***Vs.*** Pradeep Sharma (2014)2 SCC 171	**5**
4(c)	Lalita Kumari ***Vs.*** Govt. of U. P. (2014)2 SCC 1	**OR**	Aparna A. Shah ***Vs.*** Sheth Developers Pvt. Ltd. and another (2013)8 SCC 71	**5**
4(d)	Deoki Panjhiyara ***Vs.*** Shashi Bhushan Narayan Azad (2013)2 SCC 137	**OR**	S. Iyyapan v. United India v. Insurance Company Ltd. (2013) 7 SCC 62	**5**
4(e)	Jarnail Singh ***Vs.*** State of Haryana (2013)7 SCC 263	**OR**	Anil Kumar ***Vs.*** M.K. Aiyappa (2013)10 SCC 705	**5**
4(f)	United India Insurance Co. Ltd. ***Vs.*** Shila Datta AIR 2012 SC 86	**OR**	Maria Margarida Sequeira Fernandes ***Vs.*** Erasmo Jack De Sequeira (2012) 5 SCC 370	**5**

Q.5(a)- Translate the following 15 Sentences into English :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए : **–15**

1. सरकार की उक्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, साम्या और निष्पक्ष व्यवहार के अनुरुप है।
2. प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के लिये पूर्ण होने से पहले उसे किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकता है।
3. प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा, यदि किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी में के तथ्यों से संबंधित साक्ष्य को उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. विनिश्चय आधार को विधि का बल है और सभी कानूनी प्राधिकारियों पर बंधनकारी है जब वे समान विवाद्यकों का निपटारा करते हैं।
5. संविदा के भंग से संबंधित समान संव्यवहार सिविल तथा दाण्डिक उत्तरदायित्व को उत्पन्न कर सकता है।

6. प्रत्यर्थी ने अपनी साक्ष्य में कहा कि उसे उसके पति पर पूरी निष्ठा और विश्वास है और उसे उसकी सत्यनिष्ठा एवं चरित्र पर कोई संदेह नहीं है।
7. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक, दक्षतापूर्वक एवं विद्वतापूर्वक किया है।
8. दहेज प्रथा उन सामाजिक बुराईयो में से एक है जिसने भारतीय समाज के ढांचे को कमजोर किया है।
9. कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाये।
10. कोई भी अभिभाषक किसी भी न्यायालय में किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह उस व्यक्ति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो।
11. किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है।
12. किसी पुलिस ऑफीसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी।
13. स्थायी निर्योग्यता के प्रतिशत को चिकित्सकों द्वारा सम्पूर्ण शरीर के सन्दर्भ में या बहुधा विशिष्ठ अंग के संदर्भ में अभिव्यक्त किया जाता है।
14. यदि अधिकरण यह अंतिम निष्कर्ष निकालता है कि स्थाई निर्योग्यता है, तो वह उसके विस्तार को अभिनिश्चित करने की कार्यवाही करेगा।
15. जब क्षति और उसके प्रभाव के सम्बन्ध में साक्ष्य अभिलिखित की जा रही हो तो अधिकरण को मूकदर्शक नहीं होना चाहिए।

Q.5(b)- Translate the following 15 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : —15

1. The grant of temporary injunction is discretionary relief and discretion is to be exercised in favour of plaintiff, if he comes with clean hands and with fair conduct.
2. Such evidence is a weak type of evidence unless corroborated by the previous parade or other evidence.
3. Defence of unsoundness of mind or incapable of knowing the nature of the act committed by him is to be established by the accused by cogent defence.
4. Status of a lady in society is paramount consideration, whether she is entitled for share in property being a widow or not, is secondary.
5. Nagar Panchayat is a unit of self-government which is a sovereign body having both constitutional and statutory status.

6. It is well settled in law that if an administrative order is issued in contravention of statutory provision, the same has no sanctity in law.
7. An investigation should not be shut out at the threshold if the allegations have some substance.
8. In a civilized society, a tooth for a tooth and an eye for an eye ought not to be the criterion to clothe a case with rarest of rare case.
9. The Mediation Judge should conduct mediation sessions of the referred matters for mediation as Mediator on every working Saturday.
10. If there are insufficient number of cases for mediation work, he should devote his remaining working hours for regular judicial work.
11. The coordinator must ensure that as far as possible not more than 15 matters are assigned to any one Mediator at a given point of time.
12. The Constitution of India has conferred the fundamental rights and has guaranteed the device for its enforcement.
13. On the one hand judicial activism is getting admiration at all places, on the other hand some are criticising it.
14. Sale deed was 30 yrs old and it was produced in evidence from proper custody, then it would be presumed genuine, unless otherwise proved.
15. The case of Prosecution has to be examined in broad probabilities and cannot be thrown on minor variations.

*****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2014

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें
Candidate should write his Roll No. here

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 20
No. of Printed Pages : 20

निर्णय लेखन
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
Fourth Paper

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder - 10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS **-**

1. The case of plaintiff is that he is an owner and landlord of Municipal House No. 9 situated in Ward No. 10 Mohalla Ramtekri of Mandsaur city. He had purchased the house (which is hereinafter referred to as suit-house) from the M.P. Housing Board in the year 2005 by a registered sale-deed. The suit-house consists of a sitting-room, two bedrooms, one kitchen and one attached bathroom and toilet. He had let out the suit-house to the defendant on 01.04.06 on the monthly rent of 500 rupees for his residence. The defendant had been his class-mate in his school days. As a result of his close friendship, he had not got the rent-note executed by him. Therefore, the tenancy is oral. The tenancy begins on first day of Gregorian month and comes to end on the last day of the same month. The defendant has been irregular in payment of rent. The defendant has not so far paid him the rent from the period between 01.10.12 to 31.11.13 despite several demands made by him orally. Five to Six months prior to filing of this suit, the defendant had made substantial additions and alterations in the sitting-room without his written permission, thereby he converted the sitting-room into a shop in which his wife runs the Beauty parlour. Therefore, the value of suit-house is considerably diminished and the said act is inconsistent with the purpose for which he had let out the suit-house to the defendant. Owing to Beauty parlour in the suit-house, many people arrive every day, which disturbs the peaceful life of the neighbours. Therefore the defendant is responsible for creating nuisance.

2. Further case of the plaintiff is that he presently resides with his family members in an ancestral house situated in Mohalla Rambagh of Mandsaur city. His family consists of wife, one married son and two major college going sons. The house consists of three bed-rooms and one sitting-room. In view of the numbers of his family members, there is an acute shortage of space in the house. He therefore needs bonafidely the suit-house for the residence of his married son Pratik and his family. Within the Municipal limits of Mandsaur city, he does not have any suitable alternate residential accommodation of his own for the residence of his son Pratik's family.

3. Further case of the plaintiff is that the defendant has recently purchased a house in Mandsaur city in the name of his wife from the M.P. Housing Board. This house is most suitable for the residence of the defendant and his family members. He has terminated the tenancy of the defendant from 31.12.13 by sending a registered notice dated 22.10.13 through his advocate. The defendant had received this notice on 1.11.13. With this notice he has also demanded from the defendant the arrears of rent for the period between 01.10.12 to 31.12.13 amounting seven thousand five hundred rupees within two months from the receipt of the notice and directed the defendant to handover the vacant possession of the suit-house on 09.03.14. But the defendant had not complied with the directions given in the notice. Therefore, he has to file this suit for eviction and the recovery of arrears of rent against the defendant under provisions of M.P. Accommodation Control Act, 1961.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

1. The defendant in his written statement denied the plaint averments. His case is that he regularly pays the rent of the suit-house to the plaintiff. The plaintiff does not give him

receipts of the rents. The plaintiff maintains a diary in which he makes the entries of rents being paid by him. He had already paid the plaintiff the rent till 31.12.13. Thereafter, he deposited the rent in the court as the plaintiff had refused to receive the rent from him. With the oral permission of the plaintiff, his wife runs the Beauty parlour in the sitting-room. For the change of sitting-room into the Beauty parlour he had not made any substantial additions and alterations therein. The plaintiff has wrongly stated that due to running of beauty parlour nuisance being created for the neighbours. He negotiated to the local officials of the Housing Board for the purchase of a house but could not purchase a house due to its high price that was beyond his means. The plaintiff's married son Pratik is in Government job. Presently his posting is in Ratlam, where he resides with his wife. The plaintiff has therefore made false averments in this regard in the plaint. In fact the plaintiff wants to get the suit-house vacated from him so that he can let the suit-house to any family on high rent. Upon these averments the defendant prays for the dismissal of the eviction suit with cost.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन –

1– वादी का मामला यह है कि वह मन्दसौर शहर के म्यूनिसिपल भवन क्रमांक 9 वार्ड नं. 10 स्थित रामटेकरी का मालिक एवं भवन स्वामी हैं। उसने यह मकान (जिसे एतद् पश्चात वादग्रस्त मकान कहा जावेगा) मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल से वर्ष 2005 मे पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था। वादग्रस्त मकान में एक बैठक कक्ष, दो शयनकक्ष, एक रसोईघर एवं एक संबद्ध स्नानगृह एवं शौचालय हैं। उसने प्रतिवादी को वादग्रस्त मकान दिनांक 01.04.06 को पॉच सौ रूपये मासिक किराये पर रहने हेतु दिया था। प्रतिवादी उसका सहपाठी स्कूल के समय रहा था। उसकी प्रतिवादी से गहरी मित्रता थी। इसलिये उसने प्रतिवादी से किराये चिट्ठी का निष्पादन नहीं कराया था। इस प्रकार किरायेदारी मौखिक है। किरायेदारी प्रत्येक

अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख को प्रारम्भ होती है और उसी माह की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाती है। प्रतिवादी किराया देने में अनियमित है। प्रतिवादी ने उसे दिनांक 01.10.12 से 31.11.13 तक का किराया अनेक बार मौखिक मांगने पर भी नहीं दिया। उसके द्वारा यह वाद प्रस्तुत करने के पॉच–छः माह पूर्व प्रतिवादी ने उसकी लिखित अनुमति के बगैर वादग्रस्त मकान की बैठक कक्ष में सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करके बैठक कक्ष को एक दूकान में परिवर्तित कर दिया है, जहॉ से उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है। इस सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के कारण वादग्रस्त मकान की कीमत में सारभूत कमी आई है और प्रतिवादी का यह कृत्य उसे रहवास के उद्देश्य से दिये गये वादग्रस्त मकान के प्रयोजन से ठीक विपरीत हैं। ब्यूटी पार्लर के कारण अनेक लोग आते हैं जिसके कारण वादग्रस्त मकान के पड़ोस में रहने वाले लोगों के शांतिप्रिय जीवन में विघ्न पैदा होता है। इस प्रकार प्रतिवादी न्यूसेन्स पैदा करने का जिम्मेदार है।

2– वादी का आगे मामला यह है कि वह वर्तमान में उसके परिवार के सदस्यों के साथ मन्दसौर शहर के मोहल्ला रामबाग में स्थित उसके पैतृक मकान में रह रहा है। उसके परिवार मे उसकी पत्नी, एक विवाहित पुत्र तथा दो वयस्क पुत्र हैं, जो कि कालेज में पढ़ते हैं। इस मकान में तीन शयनकक्ष व एक बैठक कक्ष हैं। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या को देखते हुये वादग्रस्त मकान मे स्थान का तीव्र अभाव है। इसलिये उसे वादग्रस्त मकान की उसके विवाहित पुत्र प्रतीक एवं उसके परिवार के रहवास हेतु सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है। उसके पास मन्दसौर शहर की नगर पालिका क्षेत्र में कोई वैकल्पिक सुविधायुक्त स्थान उसके पुत्र प्रतीक के परिवार के निवास हेतु नहीं है।

3– वादी का आगे मामला यह है कि प्रतिवादी ने कुछ समय पूर्व मन्दसौर में उसकी पत्नी के नाम से मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल से एक मकान रहवास हेतु क्रय किया है। यह मकान उसके व उसके परिवार के रहवास हेतु उपयुक्त है। उसने प्रतिवादी की वादग्रस्त मकान में किरायेदारी दिनांक 31.12.13 से सूचना पत्र दिनांक 22.10.13 पंजीबद्ध डाक से उसके अभिभाषक के मार्फत भेजकर समाप्त कर दी है। प्रतिवादी को यह सूचना पत्र दिनांक 01.11.13 को प्राप्त हो गया है। उसने इस सूचना पत्र द्वारा प्रतिवादी से वादग्रस्त मकान का अवशेष किराया अवधि 01.10.13 से 31.12.13 जो कि सात हजार पॉच सौ रूपये होता है की अदायगी मांग सूचना पत्र मिलने की दिनांक से दो माह में करने हेतु आदेशित किया। उसने इस सूचना पत्र में प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया था कि वह वादग्रस्त

मकान का रिक्त आधिपत्य उसे दिनांक 09.03.14 या इसके पूर्व देवे। परन्तु प्रतिवादी ने सूचना पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप उसे यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध मध्य प्रदेश स्थान नियन्त्रण अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन बकाया किराये की वसूली सहित निष्कासन हेतु प्रस्तुत करना पड़ा।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन –</u>

1– प्रतिवादी ने जवाबदावा में वादपत्र में किये गये अभिवचनों का खण्डन किया। उसका यह कहना है कि वह वादी को नियमित रूप से वादग्रस्त मकान का किराया देता है। वादी उसे किराये की रसीद नहीं देता है। वादी किराये का इन्द्राज उसके द्वारा संधारित एक डायरी में करता हैं। उसने वादी को दिनांक 31.12.13 तक का किराया अदा कर दिया है। उक्त अवधि के पश्चात् का किराया वादी ने उससे लेने से इन्कार कर दिया। इस पर से उसने यह किराया न्यायालय में जमा करा दिया है। उसने वादी की मौखिक अनुमति से वादग्रस्त मकान के बैठक कक्ष में ब्यूटी पार्लर खोला है। ब्यूटी पार्लर खोलते समय उसने बैठक कक्ष में कोई सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन नहीं किया है। अतः वादी का यह कहना असत्य है कि उसके द्वारा ब्यूटी पार्लर खोलने से वादग्रस्त मकान की कीमत में सारभूत कमी आई है और उसका यह कृत्य उसे वादग्रस्त मकान जिस प्रयोजन से दिया गया है उसके ठीक विपरीत है। ब्यूटी पार्लर हेतु सीमित संख्या में लोग आते हैं। अतः वादी का यह कहना असत्य है कि अधिक संख्या में लोगों के आने से पड़ोसी के शांतिप्रिय जीवन में विघ्न पैदा होता है। उसने मन्दसौर में पदस्थ मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल के अधिकारियों से एक मकान क्रय करने की चर्चा की थी। परन्तु मकान की कीमत अत्यधिक होकर उसकी आर्थिक क्षमता के बाहर थी। इस कारण वह मकान क्रय नहीं कर सका। वादी का विवाहित पुत्र प्रतीक शासकीय नौकरी में है। वर्तमान में, उसकी पदस्थापना रतलाम में है जहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी ने पूर्ण रूप से असत्य अभिवचन किये है। वास्तव में वादी उससे वादग्रस्त मकान येनप्रकारेण रिक्त करवाकर अधिक किराये पर अन्य परिवार को देना चाहता है। इन अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादी ने वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under - - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

Prosecution case is that

1. On 24.10.13 at about 10 a.m. Manohar Singh, who is a chowkidar of village Banakhedi, informed Police Station Bhavgarh District Mandsaur that a badly mutilated body of a male person is lying on the bank of river of village Banakhedi. The dead body is of an unknown person. Sub-Inspector Santosh entered the information in Rojnamcha Sana No. 750 dated 24.10.13. Thereafter he reached the spot with Police force, where he saw a dead body of a person who is appeared to have been killed. Many persons of village Banakhedi also gathered at the spot. One Shyamlal identified the dead body as of Jagdish resident of village Nargsinghpura near to Banakhedi. S.I. Santosh prepared inquest report, collected from the spot plain soil & blood stained soil and seized empty bottles of country liquor, a pair of shoes and left over articles of food. He sent the dead body to primary health center, Pipliyamandi for postmortem. On 24.10.13 itself he got the postmortem report. According to which the nature of death is homicidal and the deceased was killed with sharp edged weapons. Thereafter, S.I. Santosh lodged an F.I.R. against an unknown offender. The F.I.R. was registered at Crime No. 48/13.

2. Inspector Omprakash carried out the investigation in the case. In course of investigation, he got a tip-off that Pramila, wife of deceased Jagdish, had illicit relations with Raju, the younger brother of deceased. The deceased came to know about their illicit relations and used to object by quarrelling with them. He also got a tip-off from another source that Raju had sold away

his newly purchased motor cycle at a throw-away price a couple of days before the killing of his brother Jagdish. Upon aforesaid information Inspector Omprakash interrogated Pramila and Raju thoroughly and separately. In the interrogation they confessed that they had illicit relations and Jagdish used to object their relations and used to beat Pramila badly. Therefore, they decided to kill him. Raju told him that thereafter he contracted a known criminal of his village Devkaran. He agreed to kill Jagdish on ransom of twenty five thousands rupees. In order to arrange the said money, he sold his motor cycle to Prakash at the price of thirty thousand rupees and out of which he paid twenty five thousand rupees to Devkaran. Raju further told Inspector Omprakash that thereafter Devkaran invited Jagdish to a drinks-party. Jagdish agreed to join the party. On the night of 23.10.13 and 24.10.13 Devkaran and his friend Pappusingh took Jagdish for the party to the bank of river Banakhedi, where Jagdish heavily drunk during the party. When Jagdish was heavily intoxicated, as per their preplan he (Raju) caught hold of him and Devkaran and Pappusingh killed him with axe and sickle. In order to hide the identification of the dead body of Jagdish they mutilated his face beyond recognition.

3. Inspector Omprakash on the disclosure statement of Raju, seized his blood-stained clothes from his house and a motor cycle, which was registered in his name, from Prakash. On the disclosure statement of Devkaran he seized ten thousand rupees and a blood-stained sickle from his house. On the disclosure statement of Pappu singh he seized eight thousand rupees along with a blood-stained axe from his house. Prakash identified seized notes as given by him to Raju at the time of buying of the motor cycle. Inspector Omprakash sent seized articles to the F.S.L. Sagar for chemical examinations. The F.S.L. Sagar in its reports confirmed that the blood stains on the axe and the sickle and on the clothes of the deceased and

that of Raju are of Human Blood and they belong to same group 'O'.

4. The Police filed charge-sheet against Pramila, Raju, Devkaran and Pappusingh.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि

1– दिनांक 24.10.13 को प्रातः 10 बजे के करीब ग्राम बनाखेड़ी के चौकीदार मनोहर सिंह ने पुलिस स्टेशन, भावगढ़ जिला मन्दसौर को सूचित किया कि एक पुरूष व्यक्ति की क्षत–विक्षत लाश ग्राम बनाखेड़ी की नदी किनारे पड़ी है। लाश किसी अज्ञात व्यक्ति की है। उपनिरीक्षक संतोष ने यह सूचना रोजनामचा साना क्रमांक 750 दिनांक 24.10.13 में इन्द्राज की। उसके पश्चात् वह पुलिस बल के साथ मौके पर गया ओर उसने एक व्यक्ति की लाश देखी, जिसकी हत्या किया जाना दिखाई देता था। ग्राम बनाखेड़ी के अनेक व्यक्ति मौके पर इकट्ठे हो गये। उनमें से श्यामलाल ने शव को जगदीश निवासी ग्राम नरंसिहपुरा, जो कि ग्राम बानाखेड़ी के नजदीक है, के होने की पहचान की। उपनिरीक्षक संतोष ने मौके पर लाश पंचनामा बनाया, मौके से सादी एवं खून आलुदा मिट्टी, देशी शराब की खाली बोतलें, एक जोड़ी जूते एवं छोड़ा गया खाद्य पदार्थ जब्त किया। उसने शव को शव परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलीयामण्डी भेजा। उसे दिनांक 24.10.13 को ही शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार मृत्यु की प्रकृति मानववध थी और मृत्यु धारदार हथियार से कारित की गई थी। इसके पश्चात् उपनिरीक्षक संतोष ने अज्ञात अपराधी के विरूद्ध अपराध की कायमी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित करके की। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 48/13 दर्ज हुआ।

2– निरीक्षक ओमप्रकाश ने प्रकरण में विवेचना की। उसे मुखबिर के जरिये यह सूचना मिली की मृत जगदीश की पत्नी प्रमीला के अवैध संबंध उसके छोटे भाई राजू से हो गये थे। मृतक को उनके अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी और वह इसका विरोध उन से झगड़ा करके करता था। उसे एक अन्य के माध्यम से यह भी जानकारी हुई की राजू ने उसके द्वारा क्रय की गई नवीन मोटर साईकल पानी के मोल जगदीश की हत्या होने के कुछ समय

पूर्व बेच दी थी। इस सूचना पर से निरीक्षक ओमप्रकाश ने प्रमीला एवं राजू से पृथक–पृथक गहरी पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया की उनके मध्य अवैध संबंध थे और जगदीश इस बात की आपत्ति लेता था। इस पर से उन्होंने उसे मार डालना तय किया था। राजू ने उसे यह भी बताया कि उसके पश्चात् उसने उनके गॉव के शातिर अपराधी देवकरण से संपर्क किया। देवकरण जगदीश को पच्चीस हजार रूपये की सुपारी लेकर मारने हेतु सहमत हुआ। उसने पैसों की व्यवस्था करने हेतु अपनी मोटर साईकल प्रकाश को तीस हजार रूपये में बेच दी और उसमें से पच्चीस हजार रूपये देवकरण को दिये थे। उसके पश्चात् देवकरण ने जगदीश को उसकी शराब पार्टी में आने को कहा। जगदीश सहमत हो गया। दिनांक 23.10.13 व 24.10.13 की रात्रि को देवकरण एवं उसका दोस्त पप्पूसिंह जगदीश को ग्राम बनाखेड़ी की नदी किनारे पार्टी करने हेतु ले गये। पार्टी में जगदीश ने खूब शराब पी। जब जगदीश शराब के गहरे नशे में था उस समय पूर्व नियोजित योजना अनुसार उसने (राजू) जगदीश को पकड़ा एवं देवकरण एवं पप्पूसिंह ने उसे कुल्हाड़ी एवं हँसिये से वार करके मार डाला। उन्होंने जगदीश के शव की पहचान मिटाने हेतु उसके चेहरे को पहचान से परे बुरी तरह से क्षत–विक्षत कर दिया।

3– निरीक्षक ओम प्रकाश ने राजू द्वारा दिये सूचना मेमो पर उसकी निशानदेही पर उसके घर से खून आलुदा पहनने के कपड़े एवं एक मोटर साईकल जो कि उसके नाम से पंजीबद्ध थी, प्रकाश से जब्त की। उसने देवकरण के सूचना मेमो पर उसकी निशानदेही से दस हजार रूपये एवं खून लगा हँसिया उसके घर से जब्त किया। उसने पप्पूसिंह के सूचना मेमो पर उसकी निशानदेही से आठ हजार रूपये एवं खून लगी कुल्हाड़ी उसके घर से जब्त की। प्रकाश ने नोटों की पहचान कर यह बताया की उसने जब्त रूपये राजू को मोटर साईकल क्रय करते समय दिये थे। निरीक्षक ओमप्रकाश ने जब्त आर्टीकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर रासायनिक जॉच हेतु भेजे। इस प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कुल्हाड़ी, हँसिया, राजू से जब्त कपड़ों एवं मृतक के कपड़ों पर लगा खून मानव रक्त है और उन सबका ग्रुप 'ओ' है।

4– पुलिस ने प्रमीला, राजू, देवकरण एवं पप्पूसिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings **:-**

Ram and Shyam sons of deceased Jagdish are real brothers. They filed a suit for declaration and partition stating that survey No.120, 121, 123, 124 and 125 situated at village Brajpura Tahsil and District Chattarpur were purchased by their grandfather Ram Narayan and grandmother Santoshi Bai from one Suraj Prasad on 05.07.80. Their grandfather and grandmother died intestate. Their father Jagdish, Ramesh and Rajesh being the sons of Ram Narayan and Santoshi Bai were the only survivor after the death of their grandfather Ram Narayan and grandmother Santoshi Bai. Their father Jagdish and their mother Smt.Shanti Bai have died in an accident on 02.02.99. After the death of their parents their uncle Ramesh and Rajesh defendant No.1 and 2 have denied the share of plaintiffs in aforesaid survey numbers which were jointly owned by their father after the death of their grandfather and grandmother. Plaintiffs therefore, prayed that it be declared that they being the sons and only survivors of Jagdish are joint owner of the 1/3 (one-third) share of the aforesaid property and are entitled for partition.

Defendant's Pleadings **:-**

Defendant No.1 and 2 asserted in the written statement that land in disputes were purchased by their mother and father. After their death they are the only legal successor. It was pleaded that their elder brother deceased Jagdish had solemnized marriage with a Muslim woman Saba, who changed her name as Shanti. It was pleaded that Smt.Shanti Bai was not legally wedded wife of Jagdish, she was a Muslim woman and no lawful marriage was possible between Jagdish and Shanti (Saba). Plaintiffs are sons of deceased

Shanti (Saba) but they are not entitled for any share upon the property of Jagdish. As Section 5 of Hindu Marriage Act, 1955 makes it clear that a marriage may be solemnized between any two Hindus. A lawful marriage between Hindu and Muslim was not possible and in absence of such lawful marriage the sons born out of the void marriage are not entitled for any share left by the father because marriage between a Hindu and a woman professing other religion is null and void. Under the provisions of Hindu Succession Act 1956 plaintiffs are not entitled for any share or partition in the property left by their deceased father Therefore, suit filed by plaintiffs being not maintainable be dismissed with cost.

Plaintiff's Evidence **:-**

PW-1 and PW-2 who are plaintiffs by their oral evidence and by producing certified copies of Khasra entries and sale-deed dated 05.07.80 proved that property was originally owned by Ram Narayan and Santoshi Bai, who died intestate by leaving their three sons namely Ramesh, Rajesh and Jagdish (since deceased) father of the plaintiffs. In their evidence PW-1 and PW-2 admitted that their deceased mother Shanti was a Muslim woman.

Defendant's Evidence **:-**

DW-1 and DW-2 by their oral evidence and by producing the birth certificate and matriculation mark-sheet of deceased Shanti (Saba) proved that Shanti (Saba) was originally a Muslim woman living with deceased Jagdish. It was also proved that Shanti (Saba) before or after marriage never converted to Hinduism. Plaintiffs are born out of the physical relations between Jagdish and Shanti (Saba). After the death of Ram Narayan and the Santoshi Bai the property left by them, which was their self acquired property, devolved upon their three sons namely Ramesh, Rajesh and Jagdish (since deceased).

Arguments of Plaintiff **:-**

They being the sons of deceased Jagdish and Shanti (Saba) are entitled for succession and have right over the property left by their deceased father.

Arguments of Defendant **:-**

Section 5 of the Hindu Marriage Act 1955 makes it clear that a marriage be solemnized between any two Hindus and in case marriage is not solemnized between two Hindus it is a void marriage and sons born out of such void marriage are not entitled for any share in the property under the provisions of Hindu Succession Act, 1956.

Marriage between Jagdish and Shanti (Saba) was not solemnized under the Special Marriage Act, 1954. Marriage was not solemnized after conversion in accordance with section 7 of the Hindu Marriage Act. In absence of any marriage under the Special Marriage Act of 1954 or in accordance with section 7 of the Hindu Marriage Act, 1955, Jagdish and Shanti (Saba) were not legally wedded Hindu wife and husband and such alleged marriage was even in violation of section 2(1)(c) of the HM Act of 1955. Therefore, plaintiffs are not entitled for any relief.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन **:–**

राम एवं श्याम सगे भाई होकर मृतक जगदीश के पुत्र है। उन्होंने सर्वे क्रमांक 120, 121, 123, 124 एवं 125, स्थित ग्राम ब्रजपुरा, तहसील एवं जिला छतरपुर के संबंध में घोषणा एवं विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत कर यह कथित किया कि उपरोक्त भूमियां उनके दादा रामनारायण एवं दादी संतोषीबाई ने दिनांक 05/07/1980 को सूरज प्रसाद से क्रय की थी। उनके दादा एवं दादी की मृत्यु निर्वसियती के रूप में हुई। दादा एवं दादी की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र जगदीश रमेश एवं राजेश उनके उत्तराधिकारी हुए। वादीगण के पिता जगदीश एवं मां श्रीमती शांतिबाई की दिनांक 02/02/1999 को एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो चुकी है।

अपने माता–पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके चाचा रमेश एवं राजेश प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने उपरोक्त विवादित भूमियां, जिसके कि उसके पिता, दादा एवं दादी की मृत्यु के उपरान्त संयुक्त स्वामी थे, में वादीगण का हिस्सा होने से इन्कार कर दिया। वादीगण ने इसलिये दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि उनको मृत जगदीश के पुत्रगण होने के नाते उपरोक्त भूमियों के 1/3 भाग का संयुक्त स्वामी घोषित किया जावे तथा यह भी घोषित किया जावे कि वे उपरोक्त भूमि का बंटवारा करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने बताया कि वादग्रस्त भूमियां उनके माता–पिता ने क्रय की थी। माता–पिता की मृत्यु के उपरान्त वे लोग उनके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। यह भी अभिवचनित किया गया कि उनके बड़े भाई जगदीश ने मुस्लिम महिला, जिसका नाम सबा था और जिसने बाद में अपना नाम शांति रख लिया था, के साथ विवाह किया था। यह भी अभिवचनित किया गया कि श्रीमती शांति बाई (सबा) जगदीश की वैध विवाहिता पत्नी नहीं थी। चूंकि वह एक मुस्लिम महिला थी अतः जगदीश एवं शांति (सबा) के मध्य विधिवत् विवाह होना सम्भव नहीं था। वादीगण मृतक शांति (सबा) के पुत्रगण होने के कारण विवादित सम्पत्ति, जो जगदीश द्वारा छोड़ी गयी है, में कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। धारा–5 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि विवाह केवल दो हिन्दूओं के मध्य हो सकता है। एक हिन्दू और मुस्लिम के मध्य विधिवत् विवाह होना सम्भव नहीं है और विधिवत् विवाह के अभाव में शून्य विवाह से पैदा हुए पुत्रगण पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि एक हिन्दू और ऐसी महिला, जो कि अन्य धर्म को मानने वाली थी, के मध्य हुआ विवाह प्रारम्भ से ही शून्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत भी वादीगण अपने पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में कोई हिस्सा पाने अथवा विभाजन कराने के पात्र नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संधारणीय न होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

वादी की साक्ष्य :–

वादी साक्षी क्र. 1 व 2, जो कि वादीगण हैं, ने मौखिक साक्ष्य तथा खसरा प्रविष्टियां एवं विक्रय पत्र दिनांक 05/07/1980 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मूलतः रामनारायण एवं संतोषीबाई की थी, जिनकी मृत्यु निर्वसियती के रूप में अपने तीन पुत्रों रमेश, राजेश एवं मृतक जगदीश, जो कि वादीगण के पिता हैं, को अपने पीछे छोड़कर हुई है। अपनी साक्ष्य

में वादी साक्षी क्र. 1 व 2 ने यह स्वीकार किया है कि उनकी मां शांति (सबा) एक मुस्लिम महिला थी।

प्रतिवादी की साक्ष्य :–

प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने अपनी मौखिक साक्ष्य द्वारा तथा मृतिका शांति (सबा) के जन्म प्रमाण पत्र एवं मेट्रिकुलेशन की अंकसूची प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया है कि शांति (सबा) मूलतः एक मुस्लिम महिला थी, जो जगदीश के साथ रह रही थी। यह भी प्रमाणित किया कि शांति (सबा) ने विवाह के पूर्व अथवा पश्चात् में स्वयं को हिन्दूत्व में परिवर्तित नहीं किया था। वादीगण, जगदीश एवं शांति (सबा) के मध्य हुए शारीरिक संबंधों से उत्पन्न हुए हैं। रामनारायण एवं संतोषी बाई द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति उनकी स्व–अर्जित सम्पत्ति है, जो उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्रों रमेश, राजेश एवं मृतक जगदीश को प्राप्त हुई।

तर्क वादी :–

वह मृतक जगदीश एवं शांति (सबा) के पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी के रूप में अपने मृत पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति अधिकार रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

तर्क प्रतिवादी :–

धारा–5 हिन्दू विवाह अधिनियम यह स्पष्ट प्रावधानित करता है कि केवल दो हिन्दूओं के मध्य विवाह हो सकता है और यदि दो हिन्दूओं के मध्य विवाह नहीं होता है तो ऐसा विवाह शून्य है और ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्रों को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

जगदीश एवं शांति (सबा) के मध्य हुआ विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत भी नहीं हुआ था। जगदीश एवं शांति (सबा) का विवाह सबा द्वारा हिन्दूत्व में धर्म परिवर्तन करने के उपरान्त धारा–7 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं हुआ था। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अभाव में हुआ कोई विवाह तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा–7 के विपरीत हुए विवाह से शांति (सबा) को जगदीश की वैध विवाहिता हिन्दू पत्नी एवं पति नहीं माना जा सकता है और ऐसा विवाह धारा–2(1)(सी) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन में होने से वादीगण किसी सहायता के अधिकारी नहीं है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. - 40 Marks

Prosecution Case **:-**

Prosecution case is that the deceased 'A' was married to accused 'Z' about two years before the incident. At the time of marriage, father of deceased 'B' spent a lot of money, but accused's family was not happy with the dowry given by the 'B'. 'A' was tortured and continuously harassed. She had, however, no grievance against her father in law. He (Father in Law) had assured deceased 'A' and her father 'B' that he would do his best to see that she is not harassed for not bringing dowry.

Child was delivered by 'A' at her maternal home after that she came to her matrimonial home. A few days prior to incident which took place on 10.10.2013 her uncle 'C' visited her. She made complaint about the harassment meted out to her, by her husband 'Z' and mother in law 'X'. 'C' conveyed the same to his brother. On 11.10.2013 his nephew 'D' was going to some place. 'B' asked him to go his daughter's home. 'D' went to the deceased's home. On reaching the house of deceased 'A', he inquired about deceased. But no response was made, but later on, he was informed that she had died due to illness and the dead body has been cremated. 'D' came back to his village and informed 'B', then 'B' went to the deceased's village and Panchayat was held. Accused's family accepted the purporated mistake that they should have informed 'B' about the death of her daughter. It was agreed that some lands would be settled in the name of the son of deceased. On 13.10.2013 a first information report was lodged by 'B'. After investigation challan was filed in the court, where upon cognizance was taken by the court.

Defence Plea **:-**

It was submitted that no demand of dowry was made. Deceased was ill and she died due to it. "Z" informed the death of deceased to his father in law, but he did not come. He did not commit the offence. "X" is also innocent.

Evidence for prosecution **:-**

PW-1 "B" father of the deceased, deposed that he gave to his daughter at the time of her marriage articles beyond his capacity, but "X" and "Z" were not pleased with the amount of dowry, therefore they used to harass "A". One day prior to the death, his brother "C" had gone to the deceased's home and met her. He had informed him about the beating and harassment to his daughter. He supports the FIR.

PW-2 "C" uncle of the deceased, deposed that "A" told him that her husband and mother in law are not happy with dowry. He had met the deceased one day prior to the death. "A" started weeping and said that they (Accused) are giving trouble and harassing her.

PW-3 "D" deposed that he went to the deceased's home. He was informed that "A" was died due to illness and her dead body has been cremated. Then he come back and told to "B" that they have cremated "A" after murdering her.

PW-4 "E" independent witness who was present in Panchyat. He deposed that it was accepted by the deceased's father in law that they could not inform the death of "A" to the deceased's father "B".

Other witness of cremation have been declared hostile

Evidence for defence **:-**

Defence witness "F" stated that he is neighbour of the accused person. No ill treatment was given to the deceased "A" by her in-laws. He admitted that he was not present at the time of death of "A".

Arguments of Prosecutor **:-**

"A" died within the period of 07 years from the date of marriage. She was cremated without intimation to her parents. She was subjected to cruelty and harassment by her husband and mother in law soon before her death in the connection with demand of dowry. Oral evidence remains unchallenged in the cross-examination. Therefore offence is proved.

Arguments of Defence Counsel **:-**

PW-1 "B" in his deposition did not categorically stated that "A" was subjected to harassment in connection with demand of dowry. Father of accused "Z" had informed the death of "A" to her father. P.M. report or other documentary evidence is not on the record. Oral evidence of prosecution is not reliable. Therefore accused person can not be held guilty.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

अभियोजन का मामला यह है कि मृतिका ''ए'' का विवाह अभियुक्त 'जेड' के साथ घटना के दो वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के समय मृतिका के पिता ''बी'' ने काफी पैसा खर्च किया, परन्तु अभियुक्त का परिवार ''बी'' द्वारा दिये गये दहेज से प्रसन्न नहीं था। ''ए'' को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया गया। फिर भी उसे अपने ससुर के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं थी। उसने (मृतिका के ससुर ने) मृतिका ''ए'' और उसके पिता ''बी'' को यह आश्वासन दिया था कि वह अपनी तरफ से यह देखेगा कि मृतिका को दहेज लाने के लिए परेशान न किया जाये।

''ए'' ने अपने मायके में बच्चे को जन्म दिया। उसके पश्चात् वह अपनी ससुराल के घर में आई। घटना दिनांक 10.10.2013 को घटित हुई, उसके कुछ दिन पूर्व मृतिका के चाचा ''सी'' उसके घर आये। उसने उसके साथ उसके पति ''जेड'' व सास ''एक्स'' द्वारा दी गई प्रताड़ना के संबंध में शिकायत की। ''सी'' ने यह बात अपने भाई को बताई। दिनांक 11.10.2013 को उसका भतीजा ''डी'' किसी जगह जा रहा था, तब ''बी'' ने उसे अपनी लड़की के घर जाने के लिए कहा। ''डी'' मृतिका के घर गया। मृतिका के घर पहुंचने पर उसने मृतिका के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं दिया गया, परन्तु बाद में उसे यह बताया गया कि मृतिका की मृत्यु बीमारी की

वजह से हो गई और उसकी मृत देह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ''डी'' वापस गांव आया और उसने ''बी'' को सूचना दी, तब ''बी'' मृतिका के गांव गया, वहां पंचायत बुलाई गई। अभियुक्त के परिवारजन ने अपनी यह गंभीर त्रुटि स्वीकार की कि उन्हें ''बी'' को उनकी लड़की की मृत्यु के बारे में सूचित करना चाहिए था। इस बात पर सहमति हुई कि कुछ भूमि मृतिका के पुत्र के नाम की जावेगी। दिनांक 13.10.2013 को ''बी'' द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

यह कहा गया कि कोई दहेज की मांग नहीं की गई। मृतिका बीमार थी और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। अभियुक्त ''जेड'' ने मृतिका के पिता को मृत्यु की सूचना दी थी, परन्तु वह नहीं आये। उसने कोई अपराध नहीं किया है और ''एक्स'' भी निर्दोष है।

अभियोजन की साक्ष्य :–

अभियोजन साक्षी क्र. 1 ''बी''– मृतिका का पिता कहता है कि उसने अपनी लड़की की शादी के समय अपनी क्षमता से अधिक सामान दिया था, परन्तु ''एक्स'' और 'जेड' दहेज की राशि से प्रसन्न नहीं थे इसलिए वे ''ए'' को परेशान करते थे। मृत्यु के एक दिन पूर्व उसका भाई ''सी'' मृतिका के घर गया था और उससे मिला था। उसे उसकी लड़की ने मारपीट और प्रताड़ना के संबंध में सूचित किया था। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करता है।

अभियोजन साक्षी क्र. 2 ''सी''– मृतिका का चाचा कहता है कि ''ए'' ने उससे कहा था कि उसके पिता और सास दहेज से प्रसन्न नहीं हैं। वह मृतिका से मृत्यु के एक दिन पहले मिला था। ''ए'' ने रोना शुरू कर दिया था और कहा था कि वे उसे परेशान और प्रताड़ित करते हैं।

अभियोजन साक्षी क्र. 3 ''डी''– कहता है कि वह मृतिका के घर गया था। उसे यह बताया गया था कि ''ए'' की मृत्यु बीमारी से हो गई और उसकी मृत देह का अंतिम संस्कार कर दिया गया तब वह वापस आया और उसने ''बी'' को यह बताया कि उन्होंने ''ए'' की हत्या कर उसे जला दिया है।

अभियोजन साक्षी क्र. 4 ''ई''– स्वतंत्र साक्षी है जो पंचायत में उपस्थित था वह कहता है कि मृतिका के ससुर ने यह स्वीकार किया था कि वे ''ए'' की मृत्यु के संबंध में उसके पिता ''बी'' को सूचना नहीं दे सके।

अंतिम संस्कार के अन्य साक्षी विरोधी घोषित हुये हैं।

बचाव साक्ष्य :–

बचाव साक्षी ''एफ'' कहता है कि वह अभियुक्त का पड़ोसी है। मृतिका ''ए'' के साथ उसके ससुरालजन ने बुरा व्यवहार नहीं किया था। वह स्वीकार करता है कि वह ''ए'' की मृत्यु के समय उपस्थित नहीं था।

अभियोजक का तर्क :–

''ए'' की मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष के अंदर हुई थी। उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माता–पिता को सूचना दिये कर दिया गया था। मृतिका के साथ क्रूरता और प्रताड़ना मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति और सास द्वारा दहेज की मांग के संबंध में की गई थी। मौखिक साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखंडित रही है। इसलिए अपराध साबित होता है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :–

अभियोजन साक्षी क्र. 1 ''बी'' का कथन इस संबंध में क्रम से नहीं है कि ''ए'' के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना की जाती थी। अभियुक्त ''जेड'' के पिता ने ''ए'' की मृत्यु की सूचना उसके पिता को दी थी। कोई पी.एम.रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नहीं है। अभियोजन की मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है इसलिए अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

****